न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 355/19 वाद GCMS NO : 2019/00510
पूर्व प्रकरण संख्या : 198/06

1. श्री भेरा पुत्र श्री गोदाजी गाडरी मृतक के बजाय :–
   1/1. श्रीमती रतनीबाई बेवा श्री भेराजी गाडरी,
   1/2. गंगाराम पुत्र श्री भेराजी गाडरी,
   1/3. पन्नालाल पुत्र श्री भेराजी गाडरी
   1/4. दौलतराम पुत्र श्री भेराजी गारी,
   निवासी खेमपुरा उदयपुर
2. श्री हरजी सुपुत्र श्री गोदाजी गाडी मृतक के बजाय :–
   2/1. प्रभुलाल पिता श्री हरजी गाडरी, निवासी खेमपुरा, उदयपुर
   2/2. मगनीराम पिता श्री हरजी गाडरी, निवासी खेमपुरा, उदयपुर
   2/3. श्रीमती नारायणी बाई धर्मपत्नी श्री लोगरजी गायरी, ढीकली, तहसील गिर्वा उदयपुर
3. श्रीमती नाथी बेवा श्री गोदाजी गाडरी, निवासी खेमपुरा, उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री शंकर पिता श्री नानाजी गाडरी,
2. श्री कमला पिता श्री पन्नाजी गाडरी
3. श्री लेहरू पिता श्री पन्नाजी गाडरी मृतक के बजाय :–
   3/1. श्रीमती नानीबाई विधवा श्री लेहरू जी गाडरी,
   3/2. श्री केसुलाल पिता श्री लेहरू जी गाडरी
   3/3. श्री किशनलाल पिता श्री लेहरू जी गाडरी
4. श्री खेमा पिता पन्नाजी गाडरी,
5. श्री बाबा पिता रोड़ा जी गाडरी, निवासी खेमपुरा उदयपुर
6. श्री तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 12.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसमें यह कथन किया है कि ग्राम मादडी पुरोहितान, तहसील गिर्वा के आराजीयात राजस्व रेकार्ड में शंकर पिता श्री नाना, मुसम्मात नवा बेवा नाना, कमला, लेहरू, खेमा पिता पन्ना, 2/5 हि.ब. बाबा पिता रोड़ा 1/10 भेरा पिता गोदा, हरजी पिता गोदा, नाथु बेवा वेणा 1/4, व खेमा पिता गणेश 1/4 गाडरी निवासी खेमपुरा के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसके आराजीयात आराजी संख्या 2 से 17, 22, 23, 33, 39, 40, 42, 43, 44 कुल किता 24 कुल रकबा 1.4750 हैक्टयर भूमि है। उक्त आराजीात में वादीगण का 1/4 अविभक्त हिस्सा है। उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा नही हुआ है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी संयुक्त रूप से उक्त आराजीयात पर काबिज है। प्रतिवादीगण जमीन को खुदबुर्द कर रहे है और दूसरे व्यक्तियों को बेचन का इकरार कर रहे है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा कराया जाकर 1/4 हिस्सा वादीगण का घोषित फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी प्रकरण में दिनांक 29.09.2008 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मादडी पुरोहितान के आराजीयात आराजी संख्या 2 से 17, 22, 23, 33, 39, 40, 42, 43, 44 कुल किता 24 कुल रकबा 1.4750 हैक्टयर भूमि में उभयपक्ष को सुचित करा उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बॅटवाड़ा कर बॅटवाड़ा पेश करने हेतु तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वार रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि राजस्व ग्राम मादडी पुरोहितान के आराजीयात आराजी संख्या 2 से 17, 22, 23, 33, 39, 40, 42, 43, 44 कुल किता 24 कुल रकबा 1.4750 हैक्टयर भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर वर्तमान में मकानात् बने हुए है एवं अनेक खातेदारों के नाम रेकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी हिस्से अनुसार पूर्व में खातेदारों के मध्य माननीय न्यायालय से डिक्री होकर फर्दन विक्रय भी हो चुका है। जिससे वर्तमान में पुनः बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि आराजी संख्या 2 से 17, 22, 23, 33, 39, 40, 42, 43, 44 कुल किता 24 कुल रकबा 1.4750 हैक्टयर भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर वर्तमान में मकानात् बने हुए है एवं अनेक खातेदारों के नाम रेकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी हिस्से अनुसार पूर्व में खातेदारों के मध्य माननीय न्यायालय से डिक्री होकर फर्दन विक्रय भी हो चुका है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर मकानात् बने हुए है तथा भूमि का भौतिक रूपरूप कृषि भूमि नहीं रहा है एवम् बंटवाड़ा किया जाना भी संभव नहीं है। जिससे वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में जिन पक्षकारों के खाते में दर्ज है, उसी के खाते में रहेगी।

अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:36:29 IST
Reason: SelfAttested